

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (1040)/2019/


दिनांक:-

आदेश

श्री संजय कुमार सक्सेना, स्वास्थ्य निरीक्षक, ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चाकसू (जयपुर) के अधीन कार्यरत थे, की दिनांक 07.03.2019 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप इनका नाम राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार सक्सेना, स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध आज दिनांक तक -

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई भी विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (1040)/2019/262

दिनांक:- 10/4/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेशान एवं पेशानर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) को उनके पत्र क्रमांक: 115 दिनांक 27.03.2019 के सन्दर्भ में।
4. ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी चाकसू (जयपुर) को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक को देय समस्त परिलाभों का नियमानुसार भुगतान कराते हुए निदेशालय को अवगत करावें।
5. श्रीमति वृजेश सक्सेना पत्नी स्व0 श्री संजय कुमार सक्सेना, 50/41 सैक्टर 05, प्रताप नगर, सांगानेर (जयपुर)।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
7. आदेश पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।